न्यायालयः—राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 213/2017/225 आरटीए

1. कालूराम पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. हाकमसिंह पुत्र तोतासिंह जाति कुम्हारसिख निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. महावीर पुत्र जैसाराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. मोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. रामनारायण पुत्र डालूराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्टस

—: बनाम :—

1. अनिलकुमार पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. राकेश पुत्र जयदेव निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण

3. मोहनलाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. सावित्री पत्नि इन्द्राज जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. विनोद पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. मंजू पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. रानी पत्नि जयदेव जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

8. अभि कुमार पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. महेन्द्र पुत्र जयदेव जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

———रेस्पोडेंटस/अप्रार्थीगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05.06.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी टिब्बी प्र0सं0 8/2017 अनवानी अनिलकुमार आदि बनाम तहसीलदार

उपस्थित :–

श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 10

निर्णय दिनांक –09.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश किया कि राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी सं. 2 की भूमि चक 1 एजी के प.न. 213/341 कि.न. 20 की पश्चिमी सीमा पर व प्रार्थी सं. 1 की भूमि पश्चिमी सीमा पर व प्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 1 एजी के प.न. 213/342 मु.न. 9 के कि.न. 1 व 10 की पश्चिमी सीमा पर 4 गट्ठा रास्ता स्वीकृत है जो आगे पीछे अर्थात उतर से दक्षिण अन्य काश्तकारो की भूमि मे दर्ज है। उक्त रास्ता की आवश्यकता नही है। उक्त रास्ता मौका पर स्वीकृत अनुसार खुलवाने से प्रार्थी सं. 1 की भूमि के टुकड़े होकर दो भागो मे बंट जायेगी व रास्ता मौका पर स्वीकृत को चालू करने से प्रार्थी सं. 1 की भूमि पूर्व दिशा मे आठ कैनाल रह जायेगी जिस पर न तो काश्त हो सकेगी व ना ही उसके टुकड़े होने से पानी का खाला आदि चल सकेगा। इस प्रकार उक्त रास्ता को प्रार्थी सं. 1 व 2 व अप्रार्थी सं. 2 से 6 की भूमि मे अपनी अपनी सीमा पर यानि प.न. 213/342 कि.न. 1 व 10 की दक्षिणी सीमा पर पूर्व से

पश्चिम व उतरी दक्षिणी सीमा पर उतर से दक्षिण 4–4 गट्ठा तथा प.न. 213/341 कि. न. 21 से 21 की पश्चिमी सीमा पर उतर से दक्षिण रास्ता 4–4 गट्ठा स्वीकृत कर दिये जाने का निवेदन करते हुए पूर्व मे स्वीकृतशुदा रास्ता को निरस्त करने की मांग की। जिसमे अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे स्वीकृत रास्ता को निरस्त किया जाकर मुमकिन दर्ज किये जाने व प्रार्थी/रेस्पो0 व अप्रार्थीगण सं. 3 ता 9 की भूमि मे चक 1 एजी के प.न. 213/342 मु.न. 9 कि.न. 9/0.007 व 10/0.051 पूर्व से पश्चिमी, दक्षिणी दिशा मे 4 गट्ठा तथा प.न. 213/342 मु.न. 9 कि.न. 9/0.031, 1/0.051, 10/0.020 व प.न. 213/341 मु.न. 2 कि.न. 20/0.051, 21/0.051 उतर से दक्षिण पूर्व दिशा मे 4–4 गट्ठा रास्ता स्वीकृत किया गया, इस कारण अपीलांट ने आदेश दिनांक 04.02.2014 से व्यथित होकर बतौर तृतीय पक्षकार अपील अनवानी कालूराम आदि बनाम अनिलकुमार आदि अपील सं. 18/2014 न्यायालय मे प्रस्तुत की जो बाद सुनवाई दिनांक 16.03.2016 को अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 71/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 04.02.14 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार संयोजित किया गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 04.02.14 को बहाल रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टस ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश कतई गलत एवं विधि विरूद्ध रूप से रिकार्ड व मौका की स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 सं. 1 व 2 के प्रार्थना पत्र मे यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आ चुके थे कि उक्त रास्ता को मौका पर खुलवाए जाने की कार्यवाही जैरकार है तथा उक्त रास्ता मौका पर चालू है या बन्द है अथवा

इसकी आवश्यकता है या नही, इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट तहसीलदार टिब्बी/रेस्पो0 सं. 10 से नही मंगवाई गई व ना ही किसी रिकार्ड का अवलोकन किया गया। केवल मात्र रेस्पो0 सं. 1 ता 9 की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए उक्त मंजूरशुदा व गांव से गांव को जोड़ने वाले रास्ते को कतई व विधि विरूद्ध आधारो पर खारिज किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए प्रस्तुत करते हुए मंजूरशुदा व चालू रास्ता को निरस्त किये जाने व नया रास्ता स्वीकृत किये जाने की मांग की गई जबकि धारा 251क आरटीए मे स्पष्ट अंकित है कि नवीन रास्ता निकालने अथवा चालू रास्ता को चौडा करने की अत्यधिक आवश्यकता होनी चाहिए, न कि सुविधाजनक स्थिति के लिए कोई रास्ता मंजूर किया जाना चाहिए। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक दृष्टि को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। उक्त पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी 03.08.2017 मुकर्रर थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट डबली मे दिनांक 05.06.2017 को मुकर्रर की गई। कैम्प मे अपीलांट व अन्य ग्रामवासियों द्वारा उक्त रास्ता की आवश्यकता को बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई बहस सुने निर्णय पारित कर दिया। अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस के समर्थन मे आरआरटी 2016(1) पेज 93, आरआरटी 2013 (1) पेज 299, आरआरटी 2006(2) पेज 1011 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट के तथ्य कतई गलत है। चक 1 एजी के प. न. 213/341 (2) कि.न. 20, 21 व प.न. 213/342 मु.न. 2 कि.न. 1 व 10 मे कथित रूप से रास्ता मौजूद व चालू होने के तथ्य कतई गलत है। उक्त वर्णित 4 किलो मे कभी भी रास्ता चालू नही रहा है और ना ही मौका पर चालू है, ना ही इसकी कोई

उपयोगिता है। रेस्पो0 ने नहर के किनारे अपनी भूमि के संलग्न नजरी नक्शा मे मौका चालू होने इस रास्ता को स्वीकृत किया गया है। निरस्त किया गया रास्ता कभी भी चालू नही होने व अनुपयोगी होने से निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की भूमि के दो टुकडे होने के तथ्य को मध्यनजर रखते हुए मौका निरीक्षण करने के उपरांत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो सही है। अतः अपील अपीलांटस खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 10 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

6. उभयपक्ष विद्वान वकुलाये की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी सं. 2 की भूमि चक 1 एजी के प.न. 213/341 कि.न. 20 की पश्चिमी सीमा पर व प्रार्थी सं. 1 की भूमि पश्चिमी सीमा पर व प्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 1 एजी के प.न. 213/342 मु.न. 9 के कि.न. 1 व 10 की पश्चिमी सीमा पर 4 गट्ठा रास्ता स्वीकृत है जो आगे पीछे अर्थात उतर से दक्षिण अन्य काश्तकारो की भूमि मे दर्ज है। उक्त रास्ता की आवश्यकता नही है। उक्त रास्ता मौका पर स्वीकृत अनुसार खुलवाने से प्रार्थी सं. 1 की भूमि के टुकड़े होकर दो भागो मे बंट जायेगी। उक्त रास्ता को प्रार्थी सं. 1 व 2 व अप्रार्थी सं. 2 से 6 की भूमि मे अपनी अपनी सीमा पर यानि प.न. 213/342 कि.न. 1 व 10 की दक्षिणी सीमा पर पूर्व से पश्चिम व उतरी दक्षिणी सीमा पर उतर से दक्षिण 4–4 गट्ठा तथा प.न. 213/341 कि.न. 21 से 21 की पश्चिमी सीमा पर उतर से दक्षिण रास्ता 4–4 गट्ठा स्वीकृत कर दिये जाने का निवेदन करते हुए पूर्व मे स्वीकृतशुदा रास्ता को निरस्त करने की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे स्वीकृत रास्ता को निरस्त किया जाकर मुमकिन दर्ज किये जाने व प्रार्थी/रेस्पो0 व अप्रार्थीगण सं. 3 ता 9 की भूमि मे चक 1 एजी के प.न. 213/342 मु.न. 9 कि.न. 9/0.007 व 10/0.051 पूर्व से पश्चिमी, दक्षिणी दिशा मे 4 गट्ठा तथा प.न. 213/342 मु.न. 9 कि.न. 9/0.031, 1/0.

051, 10/0.020 व प.न. 213/341 मु.न. 2 कि.न. 20/0.051, 21/0.051 उतर से दक्षिण पूर्व दिशा मे 4–4 गट्ठा रास्ता स्वीकृत किया गया, इस कारण अपीलांट ने आदेश दिनांक 04.02.2014 से व्यथित होकर बतौर तृतीय पक्षकार अपील अनवानी कालूराम आदि बनाम अनिलकुमार आदि अपील सं. 18/2014 न्यायालय मे प्रस्तुत की जो बाद सुनवाई दिनांक 16.03.2016 को अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 71/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 04.02.14 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार संयोजित किया गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 04.02.14 को बहाल रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क के तहत प्रस्तुत करते हुए पूर्व मे स्वीकृतशुदा रास्ता को निरस्त किये जाने एवं नया रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के ए मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार सिंचाई हेतु भूमिगत पाईपलाईन डालने की अनुमति एव ंबी मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार नया रास्ता स्वीकृत करने एवं रास्ता को चौड़ा करने के प्रावधान किये गये है। धारा 251क आरटीए मे स्वीकृतशुदा रास्ता को निरस्त करने के प्रावधान नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क मे वर्णित प्रावधानो के विपरीत होने के कारण अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

8. उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2017 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड मे अपीलाधीन दिनांक 05.06.2017 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़